प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : **बिलासपुर**

न्यायपीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधिपति

दाण्डिक अपील क्रमांक 1404/1994

मीरी उर्फ गणपत

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

हस्ता/-

सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

हस्ता/-

मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय हेतु 05/05/2011 को सूचीबद्ध

हस्ता/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : **बिलासपुर**

न्यायपीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधिपति

दाण्डिक अपील क्रमांक 1404/1994

अपीलार्थी: मीरी उर्फ गणपत, पिता- आयतू, जाति-हलबा, आयु 38 वर्ष, निवासी महादेव घाट पारा, जगदलपुर, थाना जगदलपुर, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य),

द्वारा थाना जगदलपुर, जिला बस्तर

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अधीन दाण्डिक अपील)

उपस्थिति: श्रीमती सविता तिवारी, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से।

श्री जमील अख्तर लोहानी, पैनल अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निर्णय

(5.05.2011)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय

न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा द्वारा **प्रदत्त**

(1) यह अपील, तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थित जगदलपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 238/91 में पारित निर्णय दिनांक 19 अगस्त, 1994 के विरुद्ध निर्देशित है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उसे आजीवन कारावास के दंड से दंडादिष्ट किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं:

मृतक- मणि अभियुक्त व्यक्तियों का पड़ोसी था। अभियुक्तों में से एक के पास एक पालतू कुत्ता था। वह कुत्ता मृतक के परिवार के सदस्यों के पीछे दौड़ता था, इसलिए मृतक ने अभियुक्तों को चेतावनी दी थी। जब अभियुक्तों ने कोई सावधानी नहीं बरती, तो मृतक ने एक टंगिया से कुत्ते को मार डाला। आरोप यह है कि इसी कारण से, दिनांक 16.12.90 को लगभग शाम 7.30 बजे, सह-अभियुक्त ने मृतक को पकड़ लिया और अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर फरसा (टंगिया) से प्रहार किया। जब मृतक गिर गया, तो अपीलार्थी ने उसका दाहिना पैर भी काट दिया। मृतक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी

अंजू (अभियोजन साक्षी-3 – मृतक की भतीजी) और राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2 – मृतक की भाभी) थीं। अंजू (अभियोजन साक्षी-3) ने प्रथम सूचना पत्र (प्रदर्श पी-2) दर्ज कराया। विवेचना अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे, पंचों को सूचना दी और मृतक के शव का पंचनामा (प्रदर्श पी-1) तैयार किया। मृतक के शव को शव-परीक्षण के लिए महारानी अस्पताल, जगदलपुर भेजा गया, जहाँ डॉ. एल.के. नायक (अभियोजन साक्षी- 4) द्वारा शव-परीक्षण की कार्यवाही की गई। उन्होंने पाया कि दाहिने टेम्परल पार्ट पर 18 सेंटीमीटर **x** 2 सेंटीमीटर **x** 5 सेंटीमीटर का एक कटा हुआ घाव था जो ऑक्सीपीटल बोन तक विस्तृत था; दाहिना पैर घुटने के नीचे से कटा हुआ था और वह केवल त्वचा से लगा हुआ था। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण चोट क्रमांक 1 एवं 2 से हुए अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उत्पन्न आघात था और यह आपराधिक मानव वध की प्रकृति का था। शव-परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/4 है। अन्वेषण के दौरान, दिनांक 16.12.90 को अपीलार्थी के आधिपत्य से मेमोरेंडम प्रदर्श-पी/8 के माध्यम से एक फरसा (टंगिया) जब्त किया गया। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया, जहाँ से एक प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/11) प्राप्त हुआ। न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रतिवेदन के अनुसार, अपीलार्थी के फरसा (टंगिया) और वस्त्रों पर रक्त के धब्बे पाए गए थे। वस्तुओं को सीरमविज्ञानी के पास परीक्षण हेतु कलकत्ता प्रयोगशाला भेजा गया, परंतु रक्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के धब्बों के स्रोत और रक्त समूह के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

अभियोजन पक्ष ने 2 अभियुक्तों, नामतः मीरी उर्फ गणपत (वर्तमान अपीलार्थी) और लक्ष्मण, आत्मज आयतू के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन का मामला यह था कि दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक के साथ मारपीट में भाग लिया था, अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त लक्ष्मण के संबंध में अभियोजन के मामले पर अविश्वास किया। अतः लक्ष्मण को दोषमुक्त कर दिया गया, तथापि, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्रीमती सविता तिवारी ने तर्क दिया कि दोनों चक्षुदर्शी साक्षी मृतक के निकट संबंधी थे, अतः वे 'हितबद्ध साक्षी' थे। उपरोक्त दो चक्षुदर्शी गवाहों में से अंजू (अभियोजन साक्षी-3) 'पक्षद्रोही' हो गई और उसने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2) को आंशिक रूप से अविश्वसनीय माना गया और उसके साक्ष्य की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। वैसे भी उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं था, अतः राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2) के एकल साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

(4) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता, श्री जमील अख्तर लोहानी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा अभिलिखित निर्णय एवं निष्कर्षों का समर्थन किया।

(5) हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तृत रूप से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(6) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने निर्णय के पैराग्राफ-21 के माध्यम से यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि अभियुक्त क्रमांक 2 के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं था क्योंकि अभियुक्त क्रमांक 2 का नाम प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से एक, अंजू (अभियोजन साक्षी-3) द्वारा तत्काल दर्ज कराई गई प्रथम सूचना पत्र (प्रदर्श-पी/2) में अंकित नहीं था, जो बाद में पक्षद्रोही हो गई थी। चूँकि राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2) ने यह गवाही दी थी कि लक्ष्मण ने भी मृतक के साथ मारपीट में भाग लिया था क्योंकि उसने मृतक को पकड़ रखा था और फिर मीरी उर्फ गणपत (वर्तमान अपीलार्थी) ने उस पर फरसा से प्रहार किया था, इसलिए यह सकारात्मक निष्कर्ष अभिलिखित किया गया था कि राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2) अभियुक्त क्रमांक 2 लक्ष्मण के लिए विश्वसनीय नहीं थी और वह उसे वर्तमान अपराध में झूठा फँसा रही थी। साक्ष्य का उपरोक्त रीति से मूल्यांकन करने के पश्चात, सत्र न्यायाधीश द्वारा लक्ष्मण को दोषमुक्त कर दिया गया, तथापि, वर्तमान अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया। वर्तमान अपीलार्थी की दोषसिद्धि का एकमात्र आधार यह है कि राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2) ने यह गवाही दी थी कि उसने मृतक पर फरसा (टंगिया) से प्रहार किया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(7) राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2) ने यह साक्ष्य दिया कि घटना वाले दिन लगभग शाम 7:40 बजे, वह अपने घर में मौजूद थी। गली में अपीलार्थी और मृतक के बीच गरमागरम बहस हो रही थी। उसने देखा कि उस गरमागरम बहस के दौरान, अभियुक्त लक्ष्मण ने मृतक मणि को पकड़ लिया और अभियुक्त मीरी उर्फ गणपत ने उसके सिर के पिछले हिस्से पर फरसा से प्रहार किया। मणि नीचे गिर गया। वह तुरंत घटनास्थल की ओर भागी। अभियुक्त व्यक्ति अपने घर की ओर चले गए। अभियुक्त गणपत अपने साथ फरसा ले गया। उसका देवर, मणि, घटनास्थल पर ही मर गया। राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि सह-अभयुक्त लक्ष्मण ने भी हमले में भाग लिया था। इसी कारण से और अंजू (अभियोजन साक्षी-3) द्वारा तत्काल दर्ज कराई गई प्रथम सूचना पत्र (प्रदर्श-पी/2) में लक्ष्मण के नाम के लोप होने के कारण, लक्ष्मण के संबंध में राजेश्वरी पर पूर्णतः अविश्वास किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) आर.एस. पाणिग्रही (अभियोजन साक्षी-1) भी एक पड़ोसी था। शोर सुनकर वह तुरंत घटनास्थल पर पहुँचा। उसने देखा कि मणि मृत पड़ा था और उसके सिर के पिछले हिस्से पर चोट लगी थी। उसने पैर पर भी चोट देखी। दोनों अभियुक्त व्यक्ति अपने घर की ओर जा रहे थे। मीरी उर्फ गणपत ने हाथ में फरसा पकड़ा हुआ था। वह शव पंचनामा (प्रदर्श-पी/1) का साक्षी भी था। प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ-9 में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि अन्य ग्रामीण तब घटनास्थल पर पहुँचे जब वह पहले ही वहाँ पहुँच चुका था, और उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि अंजू (अभियोजन साक्षी-3) और राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2) अन्य ग्रामीणों के पहुँचने के बाद घटनास्थल

पर पहुँची थीं। राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2) और आर.एस. पाणिग्रही (अभियोजन साक्षी-1) के साक्ष्य के मूल्यांकन से यह स्पष्ट होगा कि राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2), आर.एस. पाणिग्रही (अभियोजन साक्षी-1) के बाद घटनास्थल पर पहुँची थी, जो स्वयं हमले के समाप्त होने के बाद वहाँ पहुँचा था। आर.एस. पाणिग्रही (अभियोजन साक्षी-1) ने स्वीकार किया कि घटना उसके घर की सीमा दीवार के पास हुई थी और राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2) का घर उसके घर से 50 फीट की दूरी पर था। राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2) ने दावा किया कि उसने अपने घर से घटना देखी थी। घटना लगभग शाम 7.30 बजे की है। आर.एस. पाणिग्रही (अभियोजन साक्षी-1) ने यह स्वीकार किया कि घटना के समय अंधेरा था और बिजली का खंभा मुख्य गली में अभियुक्त गणपत के घर के पास था, जो घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित है। अतः, हमें इस बात पर संदेह है कि राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2) अपने घर से हमले को देख सकती थी, और जैसा कि आर.एस. पाणिग्रही (अभियोजन साक्षी-1) द्वारा कहा गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमला समाप्त होने के बाद घटनास्थल पर पहुँची थी। इसलिए उसकी गवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2) के साक्ष्य को अस्वीकार करने का एक और कारण है। राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2) ने पूरी घटना को देखने का दावा किया था। उसने हमले की रीति के बारे में विवरण दिया था। उसने केवल इतना कहा कि अभियुक्त लक्ष्मण ने मृतक को पकड़ लिया और अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर फरसा से प्रहार किया। उसने उस दूसरे प्रहार के बारे में गवाही नहीं दी जो कथित तौर पर अपीलार्थी

द्वारा किया गया था, जिसके कारण मृतक का दाहिना पैर पूरी तरह से कट गया था। ऐसे मामलों में जहाँ एक प्रत्यक्षदर्शी घटना का पूर्ण विवरण दे रहा हो और हमले का सूक्ष्म विवरण भी दे रहा हो, वहाँ उस दूसरे प्रहार का लोप होना जिसके द्वारा पैर काट दिया गया था, एक तात्विक तथ्य है और उसका साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य के साथ विसंगतिपूर्ण हो जाता है।

(10) **<u>वडीवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य, ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 614</u>** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य को तोला जाना चाहिए, न कि गिना जाना चाहिए, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 ने यह मान्यता दी है कि किसी भी तथ्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी मामले में साक्षियों की किसी विशिष्ट संख्या की आवश्यकता नहीं होगी। यह विधि का एक सुदृढ़ सिद्धांत है कि न्यायालय का सरोकार साक्ष्य की गुणवत्ता से है, न कि उसकी मात्रा से, जो किसी तथ्य को साबित या नासाबित करने के लिए आवश्यक हो। यह अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्यतः इस संदर्भ में मौखिक साक्ष्य को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् (1) पूर्णतः विश्वसनीय, (2) पूर्णतः अविश्वसनीय और (3) न तो पूर्णतः विश्वसनीय और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय। प्रमाण की पहली श्रेणी में, न्यायालय को किसी भी दिशा में अपने निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए — वह एकल साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध या दोषमुक्त कर सकता है, यदि वह साक्ष्य दोषारोपण से परे हो अथवा उसमें हितबद्ध होने, अक्षमता या सिखाए-पढ़ाए जाने का कोई संदेह न हो। दूसरी श्रेणी में, न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुँचने में समान रूप से कोई कठिनाई नहीं होती है। यह मामलों की तीसरी श्रेणी है, जिसमें न्यायालय को सतर्क रहने की आवश्यकता होती है और विश्वसनीय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

साक्ष्य द्वारा, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, तात्विक विवरणों में संपुष्टि की तलाश करनी होती है।

(11) वर्तमान मामले में, राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2), जो एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थी, को आंशिक रूप से अविश्वसनीय माना गया। उसका साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य के साथ विसंगतिपूर्ण था और इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा उसकी पूर्णतः संपुष्टि नहीं हुई थी। उसके साक्ष्य का आर.एस. पाणिग्रही (अभियोजन साक्षी-1) के साक्ष्य द्वारा आगे खंडन किया गया था, जिसके अनुसार वह हमला समाप्त होने के बाद घटनास्थल पर पहुँची थी। उसके साक्ष्य की प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से एक द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना पत्र (प्रदर्श-पी/2) द्वारा भी पूर्णतः संपुष्टि नहीं होती है। अतः, उपरोक्त आंशिक रूप से अविश्वसनीय साक्षी के साक्ष्य की संपुष्टि के अभाव में, उसके एकल कथन पर आधारित दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता। हमारी यह राय है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने राजेश्वरी (अभियोजन साक्षी-2) के एकल साक्ष्य पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को आधारित करने में विधिक भूल की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) पूर्वोक्त कारणों से, अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी को 16.12.90 को गिरफ्तार किया गया था और लगभग 12 वर्ष से अधिक समय के पश्चात 22.1.2003 को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था। वर्तमान में वह जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और प्रतिभू को उन्मोचित किया जाता है।

हस्ता/- हस्ता/-

मुख्य न्यायाधिपति सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur